UnivColl International
Multidisciplinary Research Journal
Volume 2 Issue 5, May 2026, pp. 1-10
ISSN (Online): 3108-1460
Homepage: https://univcolljournal.com/

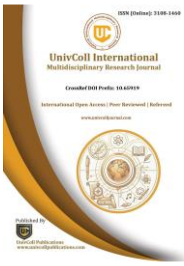

Title: **भारतीय संविधान, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का अंतर्संबंध (The Interrelationship between the Indian Constitution, National Security, and Democratic Values)**

Author(s): **Mukul Kumar**

Affiliation(s): Former Assistant Professor, Department of Defence and National Security, Maa Shakumbhari University, Saharanpur

DOI: https://doi.org/10.65919/uimrj.2025.v1i5001

History: Received: 10 March 2026, Accepted: 13 April 2026, Published: 31 May 2026

Citation: Kumar M. (2026). The Interrelationship between the Indian Constitution, National Security, and Democratic Values. UnivColl International Multidisciplinary Research Journal, 2(5), 1-10. https://doi.org/10.65919/uimrj.2025.v1i5001

Copyright: © 2026 The Author(s)

Licensing: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

Conflict of Interest: The author(s) declare no conflict of interest.

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Corresponding Author: Mukul Kumar ✉

Published By: UnivColl Publications

भारतीय संविधान, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का अंतर्संबंध

(The Interrelationship between the Indian Constitution, National Security, and Democratic Values)

Mukul Kumar

Former Assistant Professor, Department of Defence and National Security, Maa Shakumbhari University, Saharanpur

सारांश

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक शासन तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के मध्य संतुलन स्थापित करना शासन-व्यवस्था की प्रमुख चुनौती रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निर्मित भारतीय संविधान ने जहाँ नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए, वहीं राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता तथा सुरक्षा को सर्वोच्च संवैधानिक प्राथमिकता भी दी। बदलती वैश्विक भू-राजनीति, सीमा-पार आतंकवाद, साइबर युद्ध, सूचना युद्ध, उग्रवाद तथा आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को पारंपरिक सैन्य दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया है। ऐसे परिवेश में लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करना भारतीय राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। प्रस्तुत शोध आलेख में भारतीय संविधान के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा स्वतंत्रता के पश्चात विकसित राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

India is the world's largest democratic nation, where maintaining a balance among national security, constitutional governance, and democratic values has remained a major challenge for the system of governance. The Constitution of India, framed after independence, not only granted citizens a wide range of fundamental rights but also accorded the highest constitutional priority to the sovereignty, unity, integrity, and security of the nation. Changing global geopolitics, cross-border terrorism, cyber warfare, information warfare, extremism, and internal security challenges have expanded the concept of national security beyond the traditional military perspective and given it a multidimensional character. In such a context, maintaining a balance among democratic values, human rights, and national security is a constitutional responsibility of the Indian state. This research article presents a historical and analytical study of the security-related provisions of the Indian Constitution, democratic values, and the national security framework developed in India after independence.

मुख्य शब्द: भारतीय संविधान, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निदेशक तत्व, आंतरिक सुरक्षा, संवैधानिक शासन।

Keywords: Indian Constitution, National Security, Democratic Values, Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, Internal Security, Constitutional Governance.

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने स्वयं को एक ऐसे लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया, जिसकी शासन-व्यवस्था संविधान द्वारा संचालित होती है। भारतीय संविधान केवल शासन संचालन का विधिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक आदर्शों, सामाजिक न्याय, विधि के शासन तथा मानव गरिमा का भी आधार है। संविधान निर्माताओं ने यह भली-भाँति समझा था कि किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था परस्पर पूरक हों। इसी कारण

संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ राज्य की संप्रभुता, अखंडता तथा सुरक्षा की रक्षा हेतु आवश्यक संवैधानिक प्रावधान भी किए गए।[1]

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा पारंपरिक सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जैविक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सूचना सुरक्षा तथा अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे अनेक आयाम सम्मिलित हो चुके हैं। वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल उसकी सैन्य शक्ति से सुनिश्चित नहीं की जा सकती, बल्कि उसके लोकतांत्रिक संस्थानों, संवैधानिक व्यवस्था तथा सामाजिक एकता की भी इसमें समान रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद निरंतर विकसित हुई है। 1947–48, 1962, 1965, 1971 तथा 1999 के युद्धों, सीमा-पार आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद तथा साइबर खतरों ने भारतीय सुरक्षा नीति को निरंतर प्रभावित किया। परिणामस्वरूप भारत ने रक्षा आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, सामरिक स्वायत्तता, रक्षा कूटनीति तथा आंतरिक सुरक्षा तंत्र के विकास पर विशेष बल दिया।[2] दूसरी ओर भारतीय लोकतंत्र की सफलता नागरिक स्वतंत्रता, विधि के शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मानवाधिकारों के संरक्षण पर आधारित है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों का अनावश्यक हनन संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा, जबकि सुरक्षा की उपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर कर सकती है। इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य इन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करना है। यही संतुलन भारतीय संविधान की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।

भारतीय संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा की संवैधानिक अवधारणा

भारतीय संविधान राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में संरक्षित करता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य" घोषित करती है। "संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न" शब्द इस बात का द्योतक है कि भारत अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करेगा तथा अपनी संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करेगा।[3] संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन, आवागमन एवं अन्य स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई हैं, किंतु अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक राज्य को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार तथा नैतिकता के हित में युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सके। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।[4]

इसी प्रकार अनुच्छेद 352, 355 और 356 राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 355 संघ पर यह दायित्व आरोपित करता है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से संरक्षण प्रदान करे। अनुच्छेद 356 विशेष परिस्थितियों में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना नहीं, बल्कि असाधारण परिस्थितियों में संविधान की रक्षा करना है।[5] अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने, न्यायपूर्ण संबंध विकसित करने तथा अंतरराष्ट्रीय विधि के सम्मान की दिशा में कार्य करने का निर्देश देता है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल सैन्य दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा वैश्विक उत्तरदायित्व से भी जोड़ता है। संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में रक्षा, सशस्त्र बल, युद्ध, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सीमाओं की रक्षा जैसे विषयों को संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निर्णयों में एकरूपता, त्वरित निर्णय क्षमता तथा प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना है।[6]

अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के मध्य संतुलित संबंध स्थापित करता है। संविधान एक ओर नागरिकों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता एवं सुरक्षा की रक्षा के लिए राज्य को आवश्यक संवैधानिक शक्तियाँ भी प्रदान करता है। यही संतुलन भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता, राष्ट्रीय एकता तथा संवैधानिक शासन की आधारशिला है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का अंतर्संबंध

राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य के दो ऐसे आधारभूत स्तंभ हैं, जिनके मध्य संतुलन स्थापित करना सुशासन की अनिवार्य शर्त है। राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, संवैधानिक व्यवस्था तथा नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है, जबकि लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार नागरिक स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवाधिकार, विधि का शासन, राजनीतिक सहभागिता तथा उत्तरदायी शासन है। सामान्यतः यह धारणा व्यक्त की जाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताएँ परस्पर विरोधी हैं, किंतु भारतीय संवैधानिक व्यवस्था इन दोनों को परस्पर पूरक मानती है। लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब राष्ट्र सुरक्षित हो, और राष्ट्रीय सुरक्षा तभी स्थायी हो सकती है जब वह लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक मर्यादाओं पर आधारित हो। भारतीय संविधान इस संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। संविधान के भाग-III में नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रमुख हैं। साथ ही संविधान यह भी स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा के हित में इन अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।[7] इस प्रकार संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्संबंध का प्रथम आधार संवैधानिक शासन है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी निर्णय संविधान, विधि तथा संसदीय उत्तरदायित्व के अधीन होते हैं। भारतीय सशस्त्र बल निर्वाचित नागरिक सरकार के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जिससे सैन्य शक्ति पर लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित होता है।[8] यह व्यवस्था भारत को उन देशों से भिन्न बनाती है जहाँ सैन्य हस्तक्षेप लोकतांत्रिक शासन को प्रभावित करता रहा है। दूसरा महत्त्वपूर्ण आधार विधि का शासन है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राज्य की प्रत्येक कार्रवाई विधिक प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 21 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।[9] भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण अवश्य है, किंतु यह विधि के शासन तथा न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हो सकती।

लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन का तीसरा आयाम मौलिक अधिकार एवं युक्तिसंगत प्रतिबंध हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था तथा नैतिकता के आधार पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन करना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिंसा, आतंकवाद, अलगाववाद तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से सुरक्षित रखना है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अनेक ऐसी चुनौतियों का सामना किया, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के मध्य संतुलन की परीक्षा ली। 1962 का भारत-चीन युद्ध, 1965 एवं 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, पंजाब में उग्रवाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी गतिविधियाँ तथा वामपंथी उग्रवाद जैसी परिस्थितियों में राज्य को सुरक्षा संबंधी कठोर उपाय अपनाने पड़े। दूसरी ओर न्यायपालिका, संसद तथा नागरिक समाज ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सुरक्षा उपाय संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही लागू हों। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के मध्य संतुलन की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट किया है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला तथा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत ने सुरक्षा तंत्र को अधिक सुदृढ़ किया, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की स्थापना की तथा खुफिया समन्वय एवं आतंकवाद-रोधी व्यवस्था को मजबूत किया।[10] इन उपायों का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसकी संस्थाओं का सुरक्षित रहना अनिवार्य है।

समकालीन युग में साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना युद्ध, फेक न्यूज़ तथा सोशल मीडिया आधारित दुष्प्रचार ने लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। लोकतांत्रिक चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास, साइबर हमले, संवेदनशील सूचनाओं की चोरी तथा डिजिटल मंचों के माध्यम से सामाजिक विभाजन

उत्पन्न करने वाली गतिविधियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।[11] इसलिए भारत के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल लोकतंत्र के मध्य संतुलित नीति का विकास आवश्यक हो गया है।

भारतीय न्यायपालिका ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग संविधान की मूल संरचना, विधि के शासन तथा मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा लोकतांत्रिक शासन की वह व्यवस्था है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर शक्ति के मनमाने प्रयोग को सीमित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के मध्य संतुलन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण आधार नागरिक सहभागिता है। लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना, पुलिस अथवा सुरक्षा एजेंसियों का दायित्व नहीं होती, बल्कि नागरिकों, मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों तथा नागरिक समाज की भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था, सामाजिक सद्भाव तथा विधि के प्रति सम्मान राष्ट्रीय सुरक्षा को दीर्घकालिक आधार प्रदान करते हैं।[12]

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रमुख संवैधानिक एवं नीतिगत विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया, जो लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय हितों के मध्य संतुलन स्थापित कर सके। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का संवैधानिक आधार स्पष्ट रूप से निर्धारित हो गया। संविधान ने रक्षा, विदेश नीति, युद्ध, शांति, परमाणु ऊर्जा तथा सशस्त्र बलों से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित कर राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका सुनिश्चित की। साथ ही अनुच्छेद 352, 355 तथा 356 के माध्यम से असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा एवं संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए।

स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति का आधार गुटनिरपेक्षता, पंचशील तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विश्वास था कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान कूटनीतिक संवाद तथा सहयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। किंतु 1962 के भारत-चीन युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि आदर्शवादी विदेश नीति के साथ-साथ सुदृढ़ सैन्य तैयारी एवं प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था भी आवश्यक है। इस युद्ध के पश्चात भारत ने रक्षा बजट में वृद्धि, सैन्य पुनर्गठन, सीमा अवसंरचना के विकास तथा रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में व्यापक सुधार प्रारम्भ किए। 1965 तथा 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा संगठन, सैन्य समन्वय तथा रणनीतिक कूटनीति के महत्त्व को और अधिक स्पष्ट किया। विशेष रूप से 1971 के युद्ध के दौरान भारत-सोवियत शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि ने भारत की सामरिक स्थिति को सुदृढ़ किया तथा बांग्लादेश के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित की।[13] इस युद्ध के बाद भारत ने यह अनुभव किया कि प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि कूटनीतिक समर्थन, रणनीतिक साझेदारी तथा राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ता से भी सुनिश्चित होती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के संवैधानिक विकास में 1975–77 का आपातकाल एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल ने यह प्रश्न उठाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के मध्य संतुलन किस प्रकार बनाए रखा जाए। इस अनुभव के आधार पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा आपातकाल संबंधी प्रावधानों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए।[14] इस संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अधिक उत्तरदायी बनाया तथा नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण को सुदृढ़ किया। यह संशोधन भारतीय लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है।

1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण तथा 1998 के पोखरण-II परीक्षणों ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को नया आयाम प्रदान किया। भारत ने "विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध" तथा "पहले उपयोग न करने" की परमाणु नीति अपनाकर अपनी सामरिक स्वायत्तता को सुदृढ़ किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा में परमाणु प्रतिरोध, मिसाइल क्षमता तथा सामरिक संतुलन का महत्त्व बढ़ गया।

कारगिल युद्ध (1999) भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात गठित कारगिल समीक्षा समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र, खुफिया एजेंसियों के समन्वय, सीमा प्रबंधन तथा रक्षा सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

को सुदृढ़ किया गया, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) की स्थापना की गई तथा तीनों सेनाओं के मध्य बेहतर समन्वय की दिशा में सुधार प्रारम्भ हुए।

इक्कीसवीं शताब्दी में आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बनकर उभरा। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला तथा 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकवादी हमलों के पश्चात भारत ने आतंकवाद-रोधी कानूनों, खुफिया समन्वय तथा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया। वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद एवं अन्य गंभीर अपराधों की जाँच हेतु एक विशेष एजेंसी की स्थापना की गई। वर्ष 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (National Security Council) की स्थापना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Adviser) की भूमिका को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत विकास था। इसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, रक्षा नीति तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विषयों पर समन्वित निर्णय प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् भारत की समग्र सुरक्षा नीति के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक अन्य ऐतिहासिक सुधार वर्ष 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद का सृजन तथा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) की स्थापना थी। इस सुधार का उद्देश्य तीनों सेनाओं के मध्य संयुक्तता, संसाधनों के समुचित उपयोग, संयुक्त सैन्य योजना तथा भविष्य में थिएटर कमांड प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करना था। इसे स्वतंत्रता के बाद भारतीय रक्षा संगठन में सबसे महत्त्वपूर्ण संस्थागत सुधारों में से एक माना जाता है।

समकालीन काल में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अभिन्न अंग बन चुके हैं। रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा विशेष अभियान प्रभाग की स्थापना इस व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। साथ ही "आत्मनिर्भर भारत", "मेक इन इंडिया" तथा रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व भी निरंतर सुदृढ़ हुआ है। संसद की स्थायी समितियाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग तथा स्वतंत्र मीडिया राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नीतियों एवं व्ययों पर लोकतांत्रिक निगरानी सुनिश्चित करते हैं। यह व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के मध्य संतुलन स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण माध्यम है।[15]

समग्रतः स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था निरंतर विकसित एवं परिपक्व हुई है। प्रारम्भिक वर्षों की आदर्शवादी सुरक्षा अवधारणा आज एक व्यापक, तकनीक-आधारित, बहुआयामी तथा संस्थागत सुरक्षा ढाँचे में परिवर्तित हो चुकी है। संविधान, संसद, न्यायपालिका, सशस्त्र बल, सुरक्षा एजेंसियाँ तथा लोकतांत्रिक संस्थाएँ मिलकर ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करती हैं, जो राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का भी संरक्षण करती है। यही भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता है।

भारतीय लोकतंत्र के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ

स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सफलतापूर्वक स्थापित किया है, किंतु बदलते राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ निरंतर जटिल होती गई हैं। प्रारंभिक दशकों में जहाँ बाह्य आक्रमण एवं सीमाई विवाद प्रमुख चिंताएँ थीं, वहीं वर्तमान समय में आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर हमले, सूचना युद्ध, समुद्री सुरक्षा, जैविक संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा हाइब्रिड युद्ध जैसी नई चुनौतियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के स्वरूप को व्यापक बना रही हैं। इन परिस्थितियों में भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक स्वतंत्रताओं तथा संवैधानिक व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करे।

सीमा-पार आतंकवाद

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष सीमा-पार आतंकवाद सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ, नियंत्रण रेखा (LoC) पर घुसपैठ, ड्रोन के माध्यम से हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी तथा आतंकवादी संगठनों को बाहरी समर्थन भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं

लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संसद पर 13 दिसंबर 2001 का आतंकवादी हमला तथा 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले इस तथ्य के प्रमाण हैं कि आतंकवाद केवल जन-धन की हानि नहीं पहुँचाता, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं राष्ट्रीय मनोबल को भी चुनौती देता है। इन घटनाओं के बाद भारत ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA), बहु-एजेंसी समन्वय तथा आतंकवाद-रोधी तंत्र को अधिक सुदृढ़ किया।

सीमा विवाद एवं बाह्य सुरक्षा

भारत की लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक स्थलीय सीमा तथा विस्तृत समुद्री सीमा उसे अनेक सुरक्षा चुनौतियों के समक्ष खड़ा करती है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर समय-समय पर उत्पन्न तनाव, पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (LoC) पर संघर्षविराम उल्लंघन तथा हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा भारत की सुरक्षा नीति को निरंतर प्रभावित करती है। विशेष रूप से चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का तीव्र विकास तथा हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक सक्रियता भारत के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौती है।

उग्रवाद एवं नक्सलवाद

भारत के कुछ क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी गतिविधियाँ लंबे समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बनी रहीं। यद्यपि पिछले वर्षों में इन गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है, फिर भी प्रभावित क्षेत्रों में विकास, सुशासन, स्थानीय भागीदारी तथा प्रभावी सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता बनी हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल सैन्य उपाय पर्याप्त नहीं होते; सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक सुधार भी राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण साधन हैं।

साइबर सुरक्षा एवं सूचना युद्ध

डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आयाम बन चुकी है। सरकारी संस्थानों, बैंकिंग व्यवस्था, ऊर्जा नेटवर्क, रक्षा प्रतिष्ठानों तथा संचार प्रणाली पर साइबर हमलों की संभावना लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार, फेक न्यूज़, साइबर जासूसी तथा डिजिटल प्रचार युद्ध लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए भारत ने रक्षा साइबर एजेंसी, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा तंत्र तथा डिजिटल सुरक्षा नीतियों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

समुद्री सुरक्षा

भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा तथा हिंद महासागर में उसकी केंद्रीय स्थिति समुद्री सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य अंग बनाती है। समुद्री डकैती, अवैध तस्करी, समुद्री आतंकवाद, अवैध मत्स्य दोहन तथा हिंद महासागर में बाहरी शक्तियों की बढ़ती सैन्य उपस्थिति भारत के सामरिक हितों को प्रभावित करती है। भारत ने नौसेना के आधुनिकीकरण, तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देकर इन चुनौतियों का सामना करने का प्रयास किया है।[16]

उभरती प्रौद्योगिकियाँ एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन तकनीक, हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्वायत्त हथियार प्रणाली तथा अंतरिक्ष आधारित सैन्य प्रौद्योगिकियाँ भविष्य के युद्धों का स्वरूप बदल रही हैं। यदि भारत इन क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश एवं अनुसंधान नहीं करता, तो उसकी सामरिक क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी नवाचार तथा स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की भविष्य की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन एवं गैर-पारंपरिक सुरक्षा

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, महामारी, ऊर्जा संकट, खाद्य सुरक्षा, जल संकट तथा प्राकृतिक आपदाएँ भी राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण आयाम बन चुके हैं। हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र-स्तर में वृद्धि तथा चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति रक्षा अवसंरचना एवं सीमाई क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की समकालीन अवधारणा में पर्यावरणीय सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन को भी सम्मिलित किया गया है।

सामाजिक एकता एवं आंतरिक स्थिरता

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकीकरण तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता पर भी आधारित होती है। सांप्रदायिक तनाव, क्षेत्रीय असंतोष, जातीय संघर्ष, दुष्प्रचार तथा सामाजिक ध्रुवीकरण राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना, संवैधानिक मूल्यों का प्रसार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नागरिक उत्तरदायित्व तथा समावेशी विकास राष्ट्रीय सुरक्षा को दीर्घकालिक आधार प्रदान करते हैं।[17]

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ अब केवल पारंपरिक सैन्य खतरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय तथा वैचारिक आयामों तक विस्तृत हो चुकी हैं। इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान केवल सुदृढ़ सैन्य शक्ति से संभव नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, संवैधानिक शासन, वैज्ञानिक प्रगति, सुशासन, सामाजिक समरसता तथा नागरिक सहभागिता के माध्यम से ही संभव है। यही समन्वित दृष्टिकोण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान कर सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का अंतर्संबंध भारतीय राज्य की संवैधानिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की मूल आधारशिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने एक ऐसे लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण किया, जिसकी नींव संविधान, विधि के शासन, मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय एकता पर आधारित है। संविधान निर्माताओं ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ परस्पर विरोधी न होकर एक-दूसरे की पूरक हैं। इसी कारण संविधान में एक ओर नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो दूसरी ओर राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा तथा संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रावधान भी किए गए। स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ने अनेक चरणों से होकर विकास किया है। प्रारम्भिक वर्षों में गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा आदर्शवादी विदेश नीति को प्राथमिकता दी गई, किंतु 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965 एवं 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, कारगिल संघर्ष, सीमा-पार आतंकवाद तथा बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन ने भारत को अपनी सुरक्षा नीति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप रक्षा आधुनिकीकरण, परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS), रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तथा आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन जैसे अनेक संस्थागत एवं नीतिगत सुधार किए गए। इन सुधारों ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक संगठित, तकनीक-संपन्न एवं समन्वित स्वरूप प्रदान किया। समकालीन वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा पारंपरिक सैन्य दृष्टिकोण से आगे बढ़कर बहुआयामी स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। आज सीमा सुरक्षा के साथ-साथ साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, जैविक संकट, जलवायु परिवर्तन तथा महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा के अभिन्न अंग बन चुके हैं। इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से संभव नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुदृढ़ता, वैज्ञानिक प्रगति, प्रभावी प्रशासन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, तकनीकी नवाचार तथा सामाजिक समरसता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं के मध्य संतुलन स्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है। न्यायपालिका, संसद, स्वतंत्र मीडिया, निर्वाचन आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों का अनावश्यक हनन न हो। दूसरी ओर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रयोग भी संविधान, विधि के शासन तथा राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो। यही संतुलित दृष्टिकोण भारतीय लोकतंत्र को विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों से विशिष्ट बनाता है। भविष्य की दृष्टि से भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं साइबर सुरक्षा में निवेश बढ़ाना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को सुदृढ़ करना, सीमाई अवसंरचना का विकास, समुद्री सुरक्षा को सशक्त बनाना, आतंकवाद एवं हाइब्रिड युद्ध से निपटने की क्षमता विकसित करना तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक उत्तरदायी एवं सुदृढ़ बनाना समय की प्रमुख आवश्यकता है। इसके साथ ही संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, नागरिक उत्तरदायित्व तथा लोकतांत्रिक संस्कृति का सुदृढ़ीकरण भी राष्ट्रीय सुरक्षा की दीर्घकालिक आधारशिला है।

अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का संबंध परस्पर निर्भरता एवं संतुलन पर आधारित है। राष्ट्रीय सुरक्षा लोकतंत्र की रक्षा करती है और लोकतांत्रिक मूल्य राष्ट्रीय सुरक्षा को वैधता, स्थिरता तथा जनस्वीकृति प्रदान करते हैं। बदलती वैश्विक भू-राजनीति, तकनीकी क्रांति तथा उभरती सुरक्षा चुनौतियों के युग में भारत की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि वह संवैधानिक आदर्शों, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य इस संतुलन को किस सीमा तक बनाए रख पाता है। यही संतुलित एवं समन्वित दृष्टिकोण भारत को एक सशक्त, सुरक्षित, लोकतांत्रिक एवं विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का आधार बनेगा।

References

1. डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, वॉल्यूम XI, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 1949

2. स्टीफन पी. कोहेन, इंडिया: इमर्जिंग पावर, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस, वॉशिंगटन डी.सी., 2001, पृ. 113–145.

3. भारत का संविधान, प्रस्तावना

4. भारत का संविधान, अनुच्छेद 19, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय

5. भारत का संविधान, अनुच्छेद 352, 355 एवं 356, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय

6. भारत का संविधान, सातवीं अनुसूची, संघ सूची, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय

7. भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 19, 21 एवं 32, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय

8. सुभाष सी. कश्यप, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2019, पृ. 165–182

9. भारत का संविधान, अनुच्छेद 21, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय; मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1978, सर्वोच्च न्यायालय 597

10. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट 2023–24, नई दिल्ली

11. जोसेफ एस. नाए जूनियर, द फ्यूचर ऑफ पावर, पब्लिक अफेयर्स, न्यूयॉर्क, 2011, पृ. 149–155

12. ग्रैनविल ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, पृ. 50–63

13. श्रीनाथ राघवन, 1971: ए ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, पृ. 67 एवं आगे

14. भारत का संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय

15. सुभाष सी. कश्यप, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2019, पृ. 165–182

16. डेविड ब्रूस्टर, इंडियाज़ ओशन: द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ बिड फॉर रीजनल लीडरशिप, पृ. 146–188

17. ग्रैनविल ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, पृ. 50–73